

मुख्य अभियंता-5, मुजफ्फरपुर का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

पत्रांक-II मु0अ0-5 प0पु0-01-
प्रेषक,

/25 3184 2026

/पटना, दिनांक- 09.09.25

ई0 जय किशोर ठाकुर,
मुख्य अभियंता-5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल सिवान-1

विषय: शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, सिवान-1 के अधीन MMGSY (Awsesh-Gen)-Siwan-I-224
(Tender-ID 142735) निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

परिचय: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-BRRDA (HO)
MMGSY-AWSESH-398/25 2330 अनु0 दिनांक-08.09.2025

महाराज

शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, सिवान-1 के अधीन MMGSY (Awsesh-Gen)-Siwan-I-224
(Tender-ID 142735) निर्माण कार्य के निविदा के विंतीय बीड में सफल निविदाकार Rabindra kumar Dubey (Bid ID-
622889) द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 0.21 प्रतिशत कम है, अर्थात् कुल राशि 11,10,05,824.00 (ग्यारह करोड़
दस लाख पाँच हजार आठ सौ चौदासी) रु0 मात्र पर कार्यरहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता
है। इस निविदा के निष्पादन पर विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सिवान-1 संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ
अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक/फिक्स डिपोजिट/बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन कराकर
जनसंचार कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात
अनुमोदित करवाये जायें।

4. एकरारनामा के पूर्व Bid Validity की अवधि विस्तार की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।

5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित लगे से प्राप्त
कर लिये जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीवार सूची से मुक्त है।

6. अग्रधन अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग
द्वारा अनुमति प्रदान पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

7. कार्य में व.व.कृत सन्निधियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई
जाती है तो उसके दर में संपेज कमी कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा
अनुरोध सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया
जायेगा।

9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में
वस्तुस्थिति से तत्क्षण अध्याहस्ताधरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।

10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के मापा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि
इसमें कोई त्रुटि न हो।

11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी
तुल्य आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अपसारण प्रारूप में दिखे गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित
करायेंगे।

12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मस्यार कार्य प्रोग्राम
प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक निशिक्षो के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि
के अंदर पूरा की जाय।

14. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके
अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।

16. इस कार्य का कार्य विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।

17. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय
प्राप्त किया जाय तथा इस कार्य योजना की प्रति संबंधित कमीश अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय ताकि

कमीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ मदवार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दस्तावेज कार्रवाई संवेदक के विरुद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।

18 सभी निविदा कागजात एवं सूचनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं सूचनात्मक विवरणी के अनिवार्यता एवं आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

19 एकरारनामा से पहले निविदादाओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सिवान-1 सूचनात्मक विवरणी की एक अभिप्रेषण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सिवान अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निर्देश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्य समयता वृद्धांत एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हों लें।

20 इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जाय।

21 कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निवेदन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में प्रकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

22 परिमाण विषय की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिक्रिया संबंधित परमाण्वीय सिक्योरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

23 किसी भी परिस्थिति में मिट्टी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

24 प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

25 एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

26 फर्म के लायसंस में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु शक्य अधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

27 निविदा में दंड-संयंत्र एवं अनियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जांच कर लेंगे। कार्य स्थल पर दंड-संयंत्र एवं अनियंता की तेनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण के क्रम यदि दंड-संयंत्र एवं अनियंता की तेनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

28 संवेदक 14 कीड वेधता का प्रमाण लेने के पश्चात ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करें।

29 कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान-1 को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक-मु030-4-(मु0) विविध-23-291/2014-131 पटना दिनांक-13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

30 संवेदक के पत्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

31 आसंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0-यथोक्त।

आपांक - II/मु030- 3184

प्रतिनिधि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

विपत्राभाजन

मुख्य अभियंता-5

/पटना, दिनांक- 09.09.21

आपांक - II/मु030- 3184

प्रतिनिधि: अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-5

/पटना, दिनांक- 09.09.21

आपांक II/मु030- 3184

प्रतिनिधि: सहायक आइ0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-5

/पटना, दिनांक- 09.09.21

मुख्य अभियंता-5